न्यायालय– प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सरायपाली जिला महासमुन्द (छ0ग0) द्वारा जमानत प्रकरण क्र. 567/2022 (प्यारीलाल विरूद्ध छ0ग0 राज्य) में दिनांक 21.10.2022 को पारित आदेश की प्रतिलिपि :–

प्यारीलाल जगत पिता वासुदेव जगत उम्र 48 वर्ष
जाति गोड़ निवासी ग्राम दलदली थाना व तहसील बसना
जिला–महासमुन्द(छ.ग.)..**आवेदक**

–:: विरूद्ध ::–

छ0ग0 राज्य द्वारा
चौंकी भंवरपुर थाना बसना,
अपराध क्रमांक 560/2022 .... **अनावेदक**

21.10.2022 आवेदक की ओर से इमानुएल नारायण अधिवक्ता उपस्थित।
अनावेदक/राज्य द्वारा श्री आर.एल. पटेल अति. लोक अभियोजक।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.स. पर तर्क हेतु नियत है।

चौंकी भंवरपुर थाना बसना से अपराध क्रं. 560/2022 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

जमानत आवेदन के साथ आवेदक को अपना **मित्र** होना बताते हुए **अंगद विश्वकर्मा** का शपथ पत्र पेश किया गया है। उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित है कि आवेदक की ओर से धारा 439 दं0प्र0सं0 का यह **प्रथम** जमानत आवेदन पेश है तथा उक्त आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही निराकृत किया गया है।

प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को चौंकी भंवरपुर थाना बसना द्वारा उक्त अपराध के तहत गिरफ्तार कर दिनांक 18.10.2022 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना के समक्ष पेश किया गया था। जहां उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437(1) दं.प्र.स. निरस्त किया गया है तब से वह जिला जेल महासमुंद में निरूद्ध है। आवेदक के कब्जे से 06.50 लीटर महुआ शराब पाये जाने का झूठा आरोप लगाया गया है। आवेदक को उक्त मामले में चौंकी भंवरपुर थाना बसना द्वारा पड़ोसियों से विवाद होने के कारण झूठी रिपोर्ट पर झूठा एवं गलत फंसाया गया है। आवेदक पर अधिरोपित अपराध आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय नहीं है। आवेदक 48 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है। आवेदक के पत्नी एवं बच्चे घर में अकेले है, जिसके लंबे समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने से उसके परिवार पर गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो जायेगा। वह अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला मजदूर व्यक्ति है। प्रकरण के अन्वेषण एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आवेदक ग्राम दलदली थाना बसना जिला महासमुंद की स्थायी निवासी है जिसे जमानत पर रिहा किये जाने से उसके कहीं भाग जाने या भूमिगत होने की संभावना नहीं है। आवेदक जमानत पर रिहा होना चाहता है। आवेदक माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है, अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा तर्क किया गया है कि आरोपी के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है, जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

उभय पक्ष के तर्क श्रवण किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदन पर विचार किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से आवेदक की संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अपराध में दर्शित होती है। आवेदक के विरूद्ध मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध का आरोप नहीं है, जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है। चौंकी भंवरपुर थाना बसना से प्राप्त केस डायरी के अनुसार आवेदक के कब्जे से महुआ शराब कुल **मात्रा 06.50 लीटर** जप्त की गई। केस डायरी में संलग्न आवेदक के गिरफ्तारी पत्रक के अनुसार आवेदक ग्राम दलदली थाना व तहसील बसना जिला महासमुंद की निवासी है। चौंकी भंवरपुर थाना बसना से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के विरूद्ध एक अन्य अंतर्गत अपराध कमांक 290/2022 चौंकी भंवरपुर में दर्ज है। उक्त अपराध आबकारी एक्ट के अंतर्गत है। केस डायरी के अनुसार आवेदक को दिनांक 18.10.2022 को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण के विवेचना में अधिक समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः उक्त समस्त परिस्थितियों के आधार **आवेदक प्यारीलाल जगत** की ओर से प्रस्तुत यह **प्रथम जमानत** आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा 439 द.प्र.सं.** इस शर्त के साथ **स्वीकार** किया जाता है कि आवेदक अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, अभियोग पत्र प्रस्तुत होने की दशा में विचारण न्यायालय के समस्त आदेशों का पालन करेगा तथा शेष विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। आवेदक की ओर से यदि रूपये 25,000/– का एक सक्षम जमानत तथा 25,000/–रूपये का स्वयं का मुचलका विचारण न्यायालय की

संतुष्टि योग्य पेश किया जावे तो आवेदक को जमानत पर रिहा किया जावे।

केस डायरी, आदेश की प्रति के साथ वापस की जावे। आदेश एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को रिमाण्ड प्रपत्र के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार में जमा किया जावे।

सही/–
(श्रीमती शोभना कोष्टा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायपाली
जिला–महासमुन्द(छ0ग0)

प्रतिलिपि :–

01– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बसना, जिला–महासमुन्द को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02– चौंकी भंवरपुर थाना बसना, जिला–महासमुन्द को सूचनार्थ।

सही/–

(श्रीमती शोभना कोष्टा)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सरायपाली
जिला–महासमुन्द(छ0ग0)